न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर।

उपस्थितः– मुकेश चन्द्र आर्य,(उच्चतर न्यायिक सेवा राज्य उत्तराखण्ड)

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्याः–276 वर्ष 2022

कम्प्यूटर फाईलिंग संख्याः–3435 वर्ष 2022

C.N.R. No. UKUS01-004507-2022

अम्बा प्रसाद पुत्र श्री शिवचरण लाल, फैक्ट्री मैनेजर / अधिकृत प्रतिनिधि, मैसर्स देवछाया इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं0–9 / 61, सेक्टर–11 सिडकुल पन्तनगर, थाना पन्तनगर, जिला उधम सिंह नगर।	पुनरीक्षणकर्ता / प्रार्थी
प्रतिनिधित्व द्वारा विद्वान अधिवक्तागण	श्री आशीष त्रिपाठी श्री दिनेश गुप्ता
बनाम	
उत्तराखण्ड सरकार, द्वारा कलेक्टर, जनपद उधम सिंह नगर।	1. प्रत्यर्थी
प्रतिनिधित्व द्वारा विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)	श्री लक्ष्मी नारायण पटवा
इम्तियाज अहमद पुत्र श्री मुमताज अहमद प्रो0–ड्रीम एसोसिएट, निवासी ईसाईनगर हल्द्वानी, जिला नैनीताल।	2. प्रत्यर्थी / अभियुक्त
नरेन्द्र सिंह रौतेला पुत्र श्री गिरधर सिंह रौतेला, निवासी ग्राम डोबा, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा	3. प्रत्यर्थी / अभियुक्त
प्रतिनिधित्व द्वारा विद्वान् अधिवक्तागण	श्री जावेद आलम, श्री कमल तडवाल श्री अमित कालरा
पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का दिनांक	10 / 10 / 2022
बहस का दिनांक	25 / 03 / 2025 01 / 04 / 2025
निर्णय का दिनांक	09 / 04 / 2025

निर्णय

वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2, वर्ष 1974) {जिसे आगे संक्षेप में दं0प्र0सं0 अभिलिखित किया गया} की धारा 397 के अन्तर्गत, पुनरीक्षणकर्ता (जिसे अग्रेतर यथास्थान प्रार्थी अभिलिखित किया गया है) के द्वारा, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर, रूद्रपुर (जिसे अग्रेतर विद्वान न्यायालय अभिलिखित किया गया) द्वारा ''प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र संख्या 511/2022, अम्बा प्रसाद बनाम इम्तियाज अहमद और अन्य, अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0, थाना पन्तनगर'' में पारित आदेश दिनांकित 17/09/2022 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसमें विद्वान न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 को निरस्त किया गया।

2. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 के अनुसार, उसकी कंपनी मैसर्स देवछाया इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं0–9/61, सेक्टर 11 सिडकुल, पंतनगर, जिला–उधम सिंह नगर, जिसका वह फैक्ट्री मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि है, यह कम्पनी ऑटो कम्पोनेंट का निर्माण कर विभिन्न कम्पनियों को मैटेरियल सप्लाई करती है। विपक्षी इम्तियाज अहमद (प्रत्यर्थी संख्या–2) विगत कई वर्षों से उसकी कम्पनी के साथ स्कैप और रॉ मैटेरियल का लेनदेन चला आ रहा था, जिसके द्वारा बताया गया कि प्रार्थी की कम्पनी को वह तथा उसके साझेदार नरेन्द्र सिंह (प्रत्यर्थी संख्या–3) कम दाम पर रॉ मैटेरियल एचआरसीआर स्टि्व आपकी साईटस में दिलवा देंगे। प्रार्थी की कम्पनी ने उक्त विपक्षीगण से रॉ मैटेरियल खरीदने हेतु वार्ता दिनांक 04/11/2018 को हुई। उक्त विपक्षी इम्तियाज अहमद के कहने पर उसके साझेदार नरेन्द्र सिंह रौतेला के खाते में 35,00,000/–रुपया अलग–अलग तिथियों में चैक के द्वारा और उसके एक अन्य साझेदार काबल सिंह के खाते में 10–10 लाख रुपये; कुल 20,00,000/–रुपया; विपक्षी इम्तियाज अहमद की बातों पर विश्वास कर उक्त दोनों लोगों के खाते में बीस लाख रुपये की अदायगी कर दी और

विपक्षी इम्तियाज अहमद से रॉ मैटेरियल की मांग की तो उसने और धनराशि देने के लिये कहा और बताया कि वह काफी तकलीफ में है, जिस पर विश्वास करके प्रार्थी की कम्पनी द्वारा 20,00,000/–रुपया अलग–अलग तिथियों में दिये। इस तरह प्रार्थी की कम्पनी ने विपक्षीगण इम्तियाज अहमद व उसके साझेदार नरेन्द्र सिंह रौतेला व काबल सिंह को कुल 75,00,000/–रुपया की धनराशि मैटेरियल खरीदने हेतु दिये। किन्तु रॉ मैटेरियल उपलब्ध नहीं कराया गया। इम्तियाज अहमद ने कहा कि हालिया स्थिति ठीक ना होने के कारण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी कम्पनी की धनराशि वह और उसके साझेदार अपनी साझीदारी जमीन आपकी कम्पनी के हक में बेचकर आपके द्वारा दिया गया उक्त धनराशि की अदायगी करवा दी जायेगी। इस बाबत एक इकरारनामा भी तहरीर किया गया। परन्तु विपक्षी इम्तियाज अहमद एवं उसके साझेदारों द्वारा ना ही प्रार्थी की कम्पनी को रॉ मैटेरियल दिया और न ही प्रार्थी की कम्पनी से लिये गये रुपये 75,00,000/–रुपया की अदायगी प्रार्थी की कम्पनी को की गयी और न ही प्लॉट दिया, जिस प्लॉट का इकरारनामा प्रार्थी की कम्पनी के हक में किया गया है।

2.1 प्रार्थी की कम्पनी ने विपक्षी इम्तियाज अहमद के साथ अपने व्यवसायिक संबंध समाप्त कर दिये, जिसके उपरान्त विपक्षी व उसके साझेदार द्वारा प्रार्थी की कम्पनी को स्पष्ट उत्तर दिया गया कि अब वे ना तो रॉ मैटेरियल देंगे और ना ही पैसा वापस करेंगे। विपक्षी इम्तियाज अहमद पर प्रार्थी की कम्पनी के स्क्रैप सेल की धनराशि मुव. 20,48,224.90/–रुपया बकाया चली आ रही है। प्रार्थी की कम्पनी द्वारा विपक्षी इम्तियाज अहमद पर दबाव बनाया गया, तब इम्तियाज अहमद द्वारा अपने साझेदार काबल सिंह के खाते से मुव. 10,00,000/–रुपया अलग–अलग तिथियों पर पांच–पांच लाख रुपये दिये गये, परन्तु उक्त विपक्षी इम्तियाज अहमद व उसके साझेदार नरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा प्रार्थी की कम्पनी की बकाया धनराशि मुव. 85,48,224.90/–रु0 की धनराशि की अदायगी आज तक नहीं की गयी। प्रार्थी की कम्पनी द्वारा विपक्षीगण से कई बार तकादा किया गया, परन्तु

विपक्षीगण द्वारा रुपये देने से साफ इंकार कर दिया गया और धमकी दी गयी कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, अब हम तुम्हारा एक भी पैसा नहीं देंगे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

2.3 प्रार्थी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पंतनगर में दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी ने उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 07/12/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर को दी, जो शि०प्र०सं 7480/2021 एम दिनांक 07/12/2021, थाना पंतनगर पर प्राप्त की गयी, लेकिन प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित थाना को प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करने बावत् आदेशित करने की याचना की गई।

3. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, थाना पन्तनगर को दिये गये प्रार्थना–पत्र की प्रति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गये प्रार्थना–पत्र की प्रति, स्टेटमेंट की प्रति, गेटपास की प्रति, अथॉरिटी पत्र की प्रति, पैनकार्ड एवं डाक रसीद की प्रति आदि को को प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान् न्यायालय द्वारा प्रार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की और तदोपरांत उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 17/09/2022 को प्रश्नगत आदेश पारित किया गया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर, पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी के द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण योजित कर उसे प्रश्नगत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य हैं कि, विद्वान् न्यायालय के द्वारा पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों एवं पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिए गये साक्ष्य को अनदेखा करते हुए प्रनशगत आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है और त्रुटिपूर्ण है तथा विद्वान न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की गलत तरीके से विवेचना कर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है और सरसरी तौर पर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का अध्ययन करते हुए प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध न होने का कथन करते हुए प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है।

5.1 प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3 द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पुनरीक्षणकर्ता के साथ छल कपट कर धोखाधड़ी करके रॉ मैटिरियल के नाम पर मुव. 75,00,000/– रूपये गबन कर लिया गया है और उक्त धनराशि वापस मांगने पर उनके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के साथ गाली–गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जो कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तथा पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा विद्वान् न्यायालय के समक्ष किए गये कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3 के विरूद्ध प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का गठन होता है, परन्तु इसके बावजूद भी विद्वान् न्यायालय द्वारा कोई संज्ञेय अपराध कारित न होने एवं मामला सिविल प्रकृति का होने का कथन करते हुए प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण आदश पारित किया गया है। विद्वान् न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में यह कथन किया गया है कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय मामला प्रकट नहीं होता है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को रॉ मैटिरियल उपलब्ध कराने की बात कहकर उससे 75,00,000/–रूपये प्राप्त कर लिये गये और कोई सामान उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही पुनरीक्षणकर्ता को उसकी धनराशि वापिस की गयी तथा रूपयों की मांग करने पर उनके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और उक्त मामले में पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु विद्वान् न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया है, जो कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। अतः पुनरीक्षण स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को अपास्त किया जाए।

6. इस न्यायालय के द्वारा, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता श्री आशीष त्रिपाठी, प्रत्यर्थी संख्या–1 राज्य की ओर से विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री लक्ष्मी नारायण पटवा और प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3 के विद्वान् अधिवक्ता श्री अमित कालरा को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पुनरीक्षण में वर्णित अभिकथनों को निर्दिष्ट करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता की कम्पनी ऑटो कम्पोनेंट का निर्माण कर विभिन्न कम्पनियों को मैटेरियल सप्लाई करती है। जिस हेतु कम्पनी ने विपक्षीगण इम्तियाज अहमद व उसके साझेदार नरेन्द्र सिंह रौतेला व काबल सिंह को कुल 75,00,000/— रुपया की धनराशि मैटेरियल खरीदने हेतु दिये। किन्तु रॉ मैटेरियल उपलब्ध नहीं कराया गया। इम्तियाज अहमद ने अपनी हालिया स्थिति ठीक ना होने के कारण बताया कि उक्त धनराशि वह और उसके साझेदार अपनी साझीदारी जमीन उक्त कम्पनी के हक में बेचकर उक्त धनराशि की अदायगी करवा देंगे। इस बाबत एक इकरारनामा भी तहरीर किया गया। परन्तु विपक्षी इम्तियाज अहमद एवं उसके साझेदारों द्वारा ना ही प्रार्थी की कम्पनी को रॉ मैटेरियल दिया और न ही प्रार्थी की कम्पनी से लिये गये रुपये 75,00,000/—रुपया की अदायगी प्रार्थी की कम्पनी को की गयी और न ही प्लॉट दिया, जिस प्लॉट का इकरारनामा प्रार्थी की कम्पनी के हक में किया गया और धमकी दी गयी कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, अब हम तुम्हारा एक भी पैसा नहीं देंगे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उक्त तथ्यों को विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा संपरीक्षित नहीं किया गया और बिना किसी आधार के प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त कर पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण स्वीकार किया जाये।

8. प्रत्यर्थीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा जिस रूप में उसकी कंपनी के साथ इम्तियाज अहमद एवं उसके साझेदारों के द्वारा प्रार्थी की कम्पनी को रॉ मैटेरियल उपलब्ध नहीं कराये जाने और प्रार्थी की कम्पनी को जिस रिति से उक्त धनराशि अदा न किये जाने के एवज में उसकी अदायगी के लिए जिस कथित प्लॉट का इकरारनामा प्रार्थी की कम्पनी के हक में न किये जाने और इस हेतु प्रार्थी को यह धमकी देने का, कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, अब हम तुम्हारा एक भी पैसा नहीं देंगे और तुम हमारा कुछ नहीं

बिगाड़ सकते; को जो अभिवाक किया है वह पूर्णतः गलत है। क्योंकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुयी। वरन उसने अपने कथानक को मात्र आपराधिक रंग देने के उद्देश्य से इन्हें वर्णित किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वर्तमान मामला विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का है और पुनरीक्षणकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या–2 और 3 के मध्य हुये संविदात्मक संबंधों के चलते है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले के समस्त उपलब्ध तथ्यों का भलिभांति विश्लेषण करने के उपरांत ही प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जो कि शुद्ध, वैध एवं औचित्यपूर्ण है। अतः पुनरीक्षणकर्ता की वर्तमान पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाये।

9. उल्लेखनीय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण में निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता है, यथा;

(i) कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17/09/2022 में शुद्धता, वैधता, या औचित्य व नियमितता के किसी प्रकार का अभाव या अल्पता है ?

10. उभयपक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद; यह उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकर्ता का मामला यह है कि, कंपनी मैसर्स देवछाया इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं0–9/61, सेक्टर 11 सिडकुल, पंतनगर, जिला–उधम सिंह नगर, जिसका वह फैक्ट्री मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि है वह ऑटो कम्पोनेंट का निर्माण कर विभिन्न कम्पनियों को मैटेरियल सप्लाई करती है। विपक्षी इम्तियाज अहमद (प्रत्यर्थी संख्या–2) तथा उसके साझेदार नरेन्द्र सिंह (प्रत्यर्थी संख्या–3) ने कम दाम पर कंपनी को रॉ मैटेरियल दिलवाने के लिये कहा तो कंपनी के द्वारा इम्तियाज अहमद के कहने पर, नरेन्द्र सिंह रौतेला के खाते में 35,00,000/–रुपया और अन्य साझेदार काबल सिंह के खाते में दस–दस लाख रुपये; कुल 20,00,000/–रुपया; अदा किया और विपक्षी इम्तियाज अहमद से रॉ मैटेरियल की मांग तो उसने और धनराशि देने के लिये कहा और बताया कि वह काफी तकलीफ में है, जिस पर विश्वास करके प्रार्थी की कम्पनी द्वारा 20,00,000/–रुपया

अलग–अलग तिथियों में दिये। इस तरह उक्त कम्पनी ने विपक्षीगण इम्तियाज अहमद, नरेन्द्र सिंह रौतेला और काबल सिंह को कुल 75,00,000/–रुपया की धनराशि मैटेरियल खरीदने हेतु दी किन्तु रॉ मैटेरियल उपलब्ध नहीं कराया गया। इम्तियाज अहमद ने कहा कि उक्त कम्पनी की धनराशि वह और उसके साझेदार अपनी साझीदारी जमीन उक्त कम्पनी के हक में बेचकर उक्त धनराशि की अदायगी करवा देंगे। इस बाबत एक इकरारनामा भी तहरीर किया गया। परन्तु विपक्षी इम्तियाज अहमद एवं उसके साझेदारों द्वारा ना ही प्रार्थी की कम्पनी को रॉ मैटेरियल दिया और न ही प्रार्थी की कम्पनी से लिये गये रुपये 75,00,000/–रुपया की अदायगी प्रार्थी की कम्पनी को की गयी और न ही प्लॉट दिया वरन धमकी दी हमारी पहुंच ऊपर तक है, अब हम तुम्हारा एक भी पैसा नहीं देंगे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

11. विद्वान् विचारण न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आदेश में निम्नवत् संपरीक्षण किया गया है, यथाः

> "प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य धनराशि के लेनदेन को लेकर विवाद है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण से रॉ मैटेरियल प्राप्त करने के सौदे बावत धनराशि विपक्षीगण को अलग–अलग तिथियों पर दी गयी है। प्रार्थी के अनुसार विपक्षीगण ने से रॉ मैटेरियल उपलब्ध नहीं कराया और ना ही बकाया धनराशि का भुगतान किया। प्रार्थी, विपक्षीगण से धनराशि प्राप्त करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है अथवा क्षतिपूर्ति हेतु भी प्रार्थी विधिवत् कार्यवाही कर सकता है। अतः प्रार्थी को प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में सिविल उपचार उपलब्ध है तथा मामला प्रथम दृष्टया सिविल प्रकृति का प्रकट होता है। प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध कारित होना दर्शित नहीं होता है।"

12. पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 के सम्बन्ध में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा सम्बन्धित थाने से आहूत की गई आख्या, पत्रावलित कागज संख्या 5ख/26 है, जो निम्नवत् प्रस्तुत की गई हैः–

> "मालूमात किए जाने पर विपक्षी इम्तियाज अहमद पुत्र श्री मुमताज प्रो0 ड्रीम एसोसिएट, निवासी ईसाईनगर हल्द्वानी जिला नैनीताल का

देवछाया इन्डस्ट्रीज उपरोक्त में स्क्रैप का पूर्व में कार्य होना पाया। कम्पनी द्वारा दिनेशपुर बाबा काबल सिंह गेट के पास 2.5 एकड़ जमीन खरीदने की इच्छा पर विपक्षी इम्तियाज के माध्यम विपक्षी नरेन्द्र रौतेला पुत्र गिरधर सिंह रौतेला, निवासी डोबा रानीखेत अल्मोड़ा से 1 करोड़ 12 लाख्या 50 हजार रूपये में सौदा किया व 10 माह की समयावधि में रजिस्ट्री करने की बात व 60 लाख रूपया बतौर बयान दिया गया। 10 माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी कम्पनी देवछाया इन्डस्ट्रीज उपरोक्त द्वारा बकाया धनराशि न देकर रजिस्ट्री नहीं करायी गयी व बयाने हेतु दिये गये 60 लाख रूपये भी वापस करने हेतु विपक्षीगण उपरोकत पर दबाब बनाने लगी। महोदय आवेदक द्वारा प्रेषित पत्र पैसों के लेन देन का है। जिस पर थाना पंतनगर पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।''

13. उक्त संबंध में यहां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित विधिक सिद्धांत का संदर्भ दिया जाना न्यायोचित होगा। यथा;

[Radhey shyam & Ors. v. State of Rajasthan & Anr 2024 LiveLaw (595)] in this case Hon'ble the Apex Court has held in para no. 13 that-

"13 … A civil wrong cannot be given a criminal colour merely to coerce the appellants into registering the sale. The judicial process cannot be used as a tool to enforce specific performance of an agreement.

[Deepak Gaba v. State of U.P., 2023 (122) ACC 906] *wherein Hon'ble Apex Court has held in para no. 21 as under:*

21. …. Pertinently, this Court, in a number of cases, has noticed attempts made by parties to invoke jurisdiction of criminal courts, by filing vexatious criminal complaints by camouflaging allegations which were ex facie outrageous or pure civil claims. These attempts are not be entertained and should be dismissed at the threshold.

Indian Institute of Planning and Management Versus State (NCT of Delhi) and Another [2024 SCC OnLine Del 5404] *in this case Hon'ble High Court of Delhi has observed in para no. 47 as follows*

47. In Mitesh Kumar J. Sha v. State of Karnataka, 2021 SCC OnLine SC 976, Supreme Court observed as under:—

> *"44. Moreover, this Court has at innumerable instances expressed its disapproval for imparting criminal colour to a civil dispute, made merely to take advantage of a relatively quick relief granted in a criminal case in contrast to a civil dispute. Such an exercise is nothing but an abuse of the process of law which must be discouraged in its entirety."*

14. इस प्रकार उक्त संविवाद के बाद, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि मामले के पक्षकारों के मध्य हुआ संव्यवहार कि प्रत्यर्थीगण संख्या–2 और 3 के द्वारा, अभिकथित रूप से पुनरीक्षणकर्ता से संबंधित उक्त कंपनी मैसर्स देवछाया इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं0–9/61, सेक्टर 11 सिडकुल, पंतनगर, जिला–उधम सिंह नगर को रॉ मैटेरियल प्रदत्त कराया जायेगा और इसके एवज में उन्होंने पूर्वोक्त वर्णित धनराशि को, पुनरीक्षणकर्ता से संबंधित उक्त कंपनी से प्राप्त किया और रॉ मैटेरियल और धनराशि को प्रदत्त न कराये जाने पर उन्होंने अपनी कथित जमीन, उक्त कम्पनी के हक में बेचकर उक्त धनराशि की अदायगी करवा देने और इस बाबत एक इकरारनामा भी तहरीर करने के बाद उसका अनुपालन करने से स्वयं को विरत रखा गया। इस प्रकार पक्षकारों के मध्य हुआ उक्त संव्यवहार उनके मध्य हुए संविवादात्मक सम्बन्धों के चलते प्रथम दृष्टया मूल विवाद होने का मामला प्रकट होता है, जिससे मामला संज्ञेय प्रकृति का न बनकर सिविल प्रकृति का बनता है।

15. अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश वैधता, औचित्यता या शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरता है और उसमें हस्तक्षेप किये जाने का यह न्यायालय न्यायोचित आधार उपलब्ध नहीं पाता है एवं पुनरीक्षणकार्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण को बलहीन पाता है। तद्नुसार प्रस्तुत दाण्डिक

पुनरीक्षण सारहीन एवं बलहीन होने के कारण अस्वीकृत किये जाने योग्य है। तदुनसार मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता है। यथा;

आदेश

(i) पुनरीक्षणकर्ता की वर्तमान पुनरीक्षण अस्वीकार किया जाता है।

(ii) विद्वान विचारण न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर, रूद्रपुर द्वारा ''प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र संख्या 511/2022, अम्बा प्रसाद बनाम इम्तियाज अहमद और अन्य, अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0, थाना पन्तनगर'' में पारित आदेश दिनांकित 17/09/2022 को पुष्ट किया जाता है।

(iii) विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्णय/आदेश की प्रति उसके मूल अभिलेख के साथ प्रेषित की जाए।

(iv) इस आदेश को सी0आई0एस0 सर्वर और एन0जे0डी0जी0 पोर्टल में अपलोड किया जाए तथा वर्तमान पुनरीक्षण की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही के नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

दिनांकः 09/04/2025

(मुकेश चन्द्र आर्य)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रूद्रपुर, उधम सिंह नगर।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा; हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 09/04/2025

(मुकेश चन्द्र आर्य)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रूद्रपुर, उधम सिंह नगर।